B-2
L-12
Polity

* अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद 17):-

- भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है अपितु इन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध आरोपित किए गए है लेकिन अनुच्छेद 17 में उल्लेखित मूल अधिकार निरपेक्ष अधिकार है। इसका अभिप्राय है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के साथ छुआइत का अपराध दण्डनीय होगा।
- संविधान में कुछ मूल अधिकार ऐसे है जैसे अनुच्छेद 14, जो संविधान लागू होते ही स्वतः प्रभावी हो गए लेकिन अनुच्छेद 17, 23 एवं 24 ऐसे मूल अधिकार है जो स्वतः प्रभावित नहीं होते और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए संसदीय विधि की आवश्यकता होती है।
- भारत में विधि का शासन है और किसी भी व्यक्ति को दण्ड देने के लिए विधि की आवश्यकता होती है तथा वर्ष 1955 में संसद के द्वारा

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

अस्पृश्यता निवारक अधिनियम का निर्माण किया गया, जिसका नाम बदलकर 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया।

- यह संयोग का विषय है कि अस्पृश्यता न तो संविधान द्वारा परिभाषित है और न ही संसदीय अधिनियम के द्वारा परिभाषित किया गया है।
- भारतीय न्याय प्रणाली में निर्दोष होने के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है लेकिन यह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के लिए लागू नहीं होता। इसीलिए न्यायालय व्यक्ति को निर्दोष होने के बजाय दोषी मानकर विचार करती है।

* उपाधियों का अंत (अनुच्छेद - 18):-

- समानता का तार्किक परिणाम है कि किसी भी व्यक्ति को जन्मजात धर्म अथवा जाति के आधार पर किसी प्रकार का विशेषाधिकार न दिया जाए। इसीलिए राज्य के द्वारा कोई उपाधि नहीं दी

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

जाएगी। [अनुच्छेद 18(1)] लेकिन इसी अनुच्छेद में दो अपवाद भी उल्लेखित किए गए हैं:-

(i) शिक्षा या शैक्षिक क्षेत्र के लिए उपाधि

(ii) सैन्य क्षेत्रों के लिए उपाधि

उपरोक्त दोनों क्षेत्रों में उपाधि देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

- कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से भी उपाधि नहीं ले सकता। [अनुच्छेद 18(2)]
- <u>सशर्त उपाधि:-</u>

→ ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है, लेकिन राज्य के अंतर्गत कार्य करता है, उसे उपाधि लेने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी।

- <u>पद भेंट / उपलब्धि:-</u>

→ कोई व्यक्ति जो राज्य के अंतर्गत किसी पद पर कार्य कर रहा है अथवा किसी ट्रस्ट में कार्यरत है वह किसी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

अनुमति के बिना कोई भेंट / उपलब्धि अथवा पद स्वीकार नहीं करेगा। [अनुच्छेद 18(4)]

- उपाधियों से संबंधित विवादः-

↳ कांग्रेस सरकार के द्वारा 1954 से भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों की घोषणा की गयी, जिसे वर्ष 1977 में जनता पार्टी सरकार ने समाप्त कर दिया और 1980 तक यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया लेकिन जैसे ही 1980 में इंदिरा गांधी सत्ता में आयी, उन्होंने इसकी शुरुआत की।

↳ बालाजी राघवन वाद (1995) में उपाधियों से संबंधित विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आधियां एवं पुरस्कार एक दूसरे से अलग हैं और भारत रत्न एक पुरस्कार है, आधि नहीं।

↳ पुरस्कार देना समानता के विरुद्ध नहीं है क्योंकि मूल कर्तव्य में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक व्यक्ति को उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

करना चाहिए और समानता, कुशलता के विरुद्ध नहीं है।

↳ न्यायालय ने यह भी कहा कि इन पुरस्कारों का उपयोग कोई भी व्यक्ति अपने नाम के साथ नहीं कर सकता। लेकिन इसे प्रतिबंधित करने के लिए आजतक भारत में कोई भी विधि निर्मित नहीं हो सकी।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

* अनुच्छेद 19 :- सभी नागरिकों को छः अधिकारों की गारंटी देता है।

⇓

19(1)(a) → वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

19(1)(b) → शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार

19(1)(c) → संगम संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार

19(1)(d) → भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार

19(1)(e) → भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने का अधिकार

19(1)(f) → कोई भी वृत्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR